IMPORTANT

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

क्रमांक एफ 4(1)स्वामित्व/विधि/पंरा/2020/पार्ट–3/E-File - 00439

1. **ज़िला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।**
2. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
   ज़िला परिषद्,
   समस्त, राजस्थान।

विषय :– ''स्वामित्व योजना'' के क्रियान्वयन बाबत।
प्रसंग :– विभागीय अधिसूचना दिनांक 16.01.2025, 11.03.2025 व 23.09.2025 एवं विभागीय पत्रांक 48 दिनांक 18.01.2021, 01.04.2022, 22.02.2023, 21.08.2023 व 27.08.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक विभागीय अधिसूचनाओं एवं विभागीय पत्रों के क्रम में लेख है कि प्रासंगिक विभागीय पत्रों द्वारा जारी निर्देशों की निरंतरता में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

"राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल दिनांक 16.01.2025, 11.03.2025 व 23.09.2025 तक समाप्त हो गया है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति गठित किये जाने का निर्णय प्रासंगिक विभागीय अधिसूचना दिनांक 16.01.2025, 11.03.2025 व 23.09.2025 के द्वारा लिया गया है। इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे हैं, सदस्य बनाये गए हैं। इस प्रकार की ग्राम पंचायतों में विभागीय पत्रांक 48 दिनांक 18.01.2021 के अनुसार स्वामित्व योजनान्तर्गत गठित सर्वे समिति में 2 वार्ड पंचों के स्थान पर प्रासंगिक विभागीय अधिसूचनाओं के अनुसार गठित प्रशासकीय समिति के 2 सदस्यों द्वारा स्वामित्व योजनान्तर्गत गठित सर्वे समिति में कार्य सम्पादित किया जाएगा।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.09.25 11:18:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17976092
eSign 1.0

इस योजना के सफल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु उक्त निर्देशों के क्रम में अपने–अपने ज़िलों में आवश्यक कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(डॉ. जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. ए.सी.पी., पंचायती राज को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

RajKaj Ref No.: 17976092
eSign 1.0

Signature Not Verified

Digitally signed by Joga Ram
Designation : Secretary To Government
Date: 2025.09.25 11:18:00 IST
Reason: Approved